


मध्य प्रदेश शासन  
वन विभाग  
मंत्रालय (वल्लभ भवन) भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर, 2005

आदेश

कमांक/एफ-5/16/2000/10-3 राज्य शासन द्वारा, वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु भारत शासन की अनुमति के पश्चात उपलब्ध कराई जा रही वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट वेल्थू वरसूल करने के संबंध में इस विभाग द्वारा जारी रागसंख्यक ज्ञाप दिनांक 26-12-03 को अधिकमित करते हुये, वनों की साइट क्वालिटी व घनत्व के आधार पर व्यववर्तित होने वाली वन भूमि का वर्तमान शुद्ध मूल्य (नेट प्रजेन्ट वेल्थू) की राशि का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है:-


अ0क0	वनो की साइट क्वालिटी (समस्त प्रकार के वनों हेतु)	वनो का घनत्व	नेट प्रजेन्ट वेल्थू प्रति हेक्टेयर (रु० लाख में)
1	I Quality	1. सघन वन (0.8 या अधिक) 2. मध्यम घनत्व वन (0.5 से 0.7) 3. खुले वन व रिक्त क्षेत्र (0.4 या कम)	9.20 8.60 7.50
2	II Quality	1. सघन वन (0.8 या अधिक) 2. मध्यम घनत्व वन (0.5 से 0.7) 3. खुले वन व रिक्त क्षेत्र (0.4 या कम)	8.60 7.50 6.80
3	III Quality	1. सघन वन (0.8 या अधिक) 2. मध्यम घनत्व वन (0.5 से 0.7) 3. खुले वन व रिक्त क्षेत्र (0.4 या कम)	7.50 6.80 6.20
4	IV-a Quality	1. सघन वन (0.8 या अधिक) 2. मध्यम घनत्व वन (0.5 से 0.7) 3. खुले वन व रिक्त क्षेत्र (0.4 या कम)	6.20 6.00 5.90
5	IV-b Quality	1. सघन वन (0.8 या अधिक)	6.00

  
रु०  
वर्तन पुरवार)

अ0क0	वनो की साइट क्वालिटी (समस्त प्रकार के वनों हेतु)	वनो का घनत्व	नेट प्रजेन्ट वेल्यू प्रति हेक्टेयर (रु०) लाख में)
		2. मध्यम घनत्व वन (0.5 से 0.7)	5.90
		3. खुले वन व रिवत क्षेत्र (0.4 या कम)	5.80

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

  
3/1/1  
(रतन पुरंधर)

सचिव

म0 प्र0 शासन, वन विभाग

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2005

पृ0 क0/एफ-5/16/2000/10-3

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग/खनिज साधन विभाग/ऊजा विभाग/राजस्व विभाग/वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/जल संसाधन विभाग/नर्मदा नदी विकास विभाग/लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, भोपाल।
3. मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध) मध्य प्रदेश, भोपाल।
4. समस्त आयुक्त, मध्य प्रदेश।
5. समस्त वन संरक्षक, मध्य प्रदेश।
6. समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश।
7. समस्त वन मण्डलाधिकारी, मध्य प्रदेश।
8. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
3/1/1  
सचिव

म0 प्र0 शासन, वन विभाग

मध्य प्रदेश सरकार  
वन विभाग  
भोपाल  
संख्या: 15/1/1  
दिनांक: 8-9-2005

  
15/1/1